

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 538 / खनिज-30, बाँदा

दिनांक : मई 29, 2021

"सार्वजनिक सूचना"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बाँदा की तहसील बाँदा, बबेरू व पैलानी में निजी भूमि पर उपलब्ध उपखनिज बालू/मोरम के 04 नये खनन क्षेत्रों का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	जनपद	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	रकबा (हे० में)
1	2	3	4	5	6
1.	बाँदा	बाँदा	गंछा	22/2, 23 व 24	1.3050
2.	बाँदा	बाँदा	गंछा	61, 73 व 74	1.2160
3.	बाँदा	बबेरू	इटवाँ	3275	1.575
4.	बाँदा	पैलानी	सादीमदनपुर	836, 840, 841, 842, 843 व 844	1.071

उक्त उपखनिज बालू/मोरम के 04 खनन क्षेत्रों को जनपद के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आम जनमानस अपना सुझाव/आपत्ति आज से 21 दिन तक अर्थात् दिनांक 23/06/2021 तक कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), बाँदा में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आनन्द कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. सदस्य-सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, लखनऊ।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4. उपजिलाधिकारी, बाँदा/नरैनी/पैलानी/बबेरू/अतर्रा।
5. जिला सूचना अधिकारी, बाँदा को निःशुल्क प्रचार-प्रसार हेतु।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 539 / खनिज-30, बाँदा


दिनांक : मई 29, 2021

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
(एनआईसी), बाँदा।

कृपया अवगत कराना है कि शासन के पत्र सं०-865/86-2020/01(सा०)/2020 दिनांक 12.06.2020 द्वारा जनपद में उपलब्ध उपखनिजों के नये क्षेत्रों का गठन कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्ताव अल्प अवधि हेतु जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करके तत्सम्बन्धी विवरण अनुमोदन हेतु शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराये। यदि क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण कर, निराकरण आख्या से शासन एवं निदेशालय को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः जनपद में उपलब्ध उपखनिज बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु सार्वजनिक सूचना की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि सार्वजनिक सूचना को जिले की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के लिये 21 दिनों तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।


(आनन्द कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।